(3134   SR WS 26

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

लोकल कमेटी, दक्षिणी दिल्ली

लालकिरण भवन
मीठापुर चौक, मीठापुर
नई दिल्ली-110044

D-5

9671
30/11/11

CPM/11/38

DDR

दिनांक 30/11/2011

संदर्भ.................

सेवा में,
मन्त्री महोदय
केन्द्रीय शहरी एवं विकास मन्त्रालय
भारत सरकार नई दिल्ली

2516/DDR/RB/11
1/XII/11

विषय :– दिल्ली के 2005–2021 मास्टर प्लान में संशोधन हेतु। IB

मान्यवर,

निवेदन है कि दिल्ली नगर निगम के मीठापुर एवं जैतपुर वार्ड क्षेत्र के उपरोक्त मास्टर प्लान में 'ओ जोन' में अव्यवहारिक रूप से दर्शाये जाने से यहां के निवासियों को अपने मकान बनाने व मरम्मत करने या किसी भी प्रकार का बदलाव करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। पिछले दो वर्षो से यह दिक्कत ज्यादा भयावह रूप धारण कर रही है। जिसका भरपूर लाभ स्थानीय पुलिस मनमाने ढंग से उठा रही है।

इसलिए इस क्षेत्र को 'ओ जोन' से मुक्त करने लिए निम्न तथ्या प्रस्तुत करते है।:–

1. यह कि इससे पूर्व के मास्टर प्लानों में यह क्षेत्र कभी भी 'ओ जोन' में नही दर्शाया गया है क्योकि यहां विगत दो वर्षो से पूर्व मकान बनाने आदि पर किसी भी विभाग द्वारा कभी भी रूकावट नही डाली गई थी।

2. यह कि दिल्ली राजस्व विभाग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण से मिली अलग–अलग जानकारी के अनुसार यह क्षेत्र ना तो यमुना नदी के तटबन्धों से 300 मीटर के अन्दर है और ना ही यमुना नदी के तटबन्धों और किनारो के मध्य है। जैसा कि उपरोक्त दोनो विभागो ने 'ओ जोन' में आने वाले क्षेत्र का आधार बताया है।

3. यह कि यमुना नदी और इस क्षेत्र की सीमा के मध्य वसन्तपुर, इस्माईलपुर और अगवानपुर गांव जिला फरीदाबाद हरियाणा का क्षेत्र आता है, । जिसकी यमुना नदी के तटबन्ध से इस क्षेत्र की निकटतम दूरी 1 किलोमीटर तथा अधिकतम दूरी तीन किलो मीटर है (नक्शा संलग्न है)

4. यह कि इस क्षेत्र की भूमि पर बनी सभी कालोनियां सन् 2005 पूर्व से बसी हुई है। जिसमें ज्यादातर कालोनीयो को 'प्रोविजनल सर्टीफिकेट' भी मिल चुका है। 2005 की कोई भी शर्त इस क्षेत्र पर लागू नही होनी चाहिए । जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बसाई गई जे जे कालोनी मदनपुर खादर जो यमुना नदी के तटबंध से बिलकुल सटी हुई है वहाँ 'ओ जोन' की शर्त लागू नही है । यही नही इसी प्रकार अबुल फज़ल इन्कलेव व शाहीन बाग आदि कालोनियॉ में जो बिल्कुल यमुनानदी के किनारे बसी हैं वहॉ पर भी किसी तरह की मकान बनाने आदि पर रूकावट नही है तो इस क्षेत्र के साथ यह पक्षपात व सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

अतः आप से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को जाने अनजाने में 'ओ जोन' में शामिल किये जाने की अव्यवहारिक, अतार्किक व पक्षपातपूर्ण भूल को समय रहते हुए सुधारा जाये तथा दिल्ली के 2005–2021 के मास्टर प्लान में आवश्यक संशोधन कर क्षेत्रवासियों को हो रहे मानसिक तनाव व उत्पीडन से मुक्त कर कृतार्थ करें।

धन्यवाद

भवदीय
(signature)
(जगदीश चन्द्र)
सचिव

संलग्नक:– क्षेत्र का मानचित्र।

338

(232)

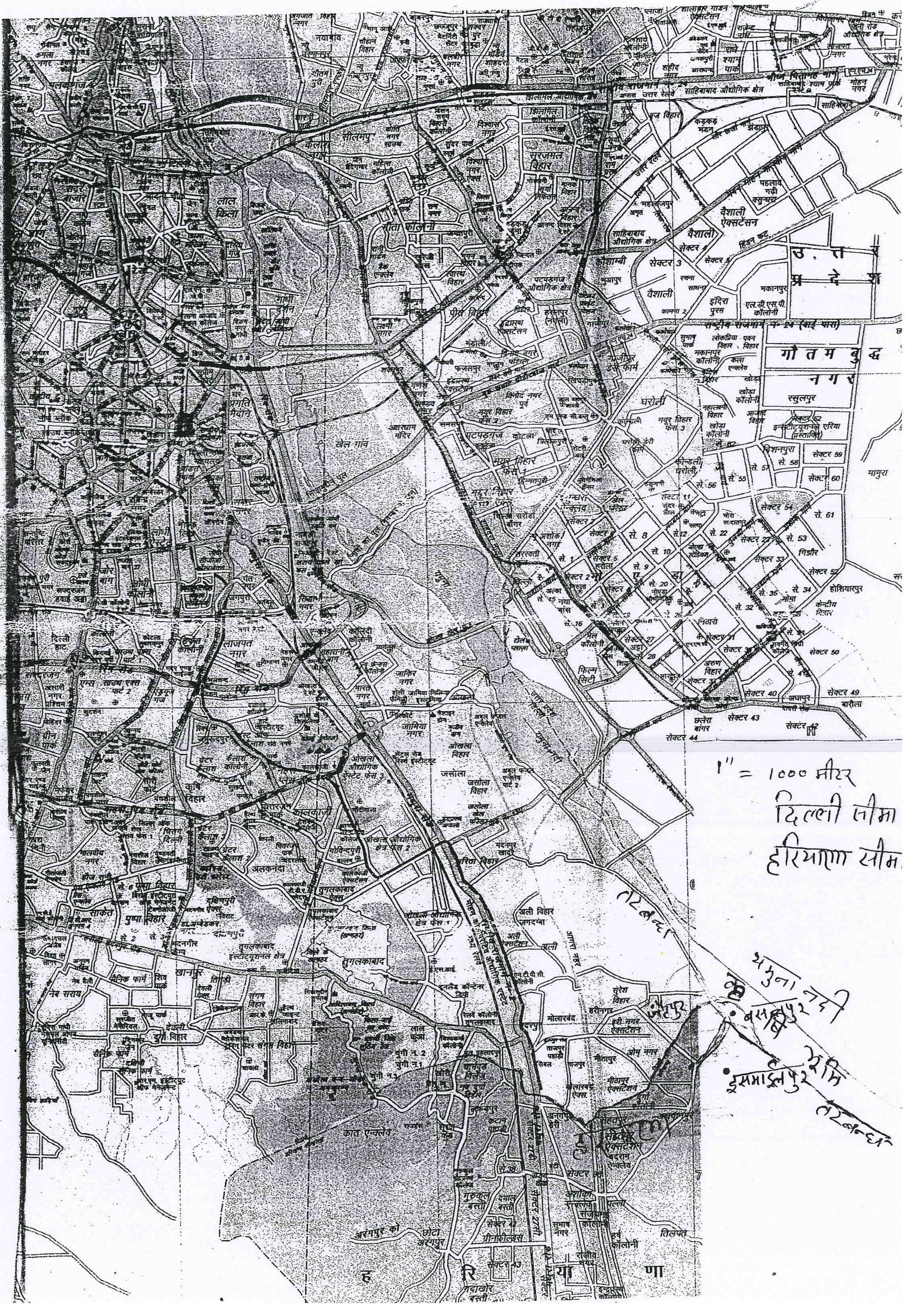

उ त्त र प्र दे श
गौतम बुद्ध नगर
ह रि या णा
लाल किला
वैशाली
मयूर विहार
खेल गांव
तुगलकाबाद
लाजपत नगर
1" = 1000 मीटर
दिल्ली सीमा
हरियाणा सीमा
तटबन्ध
यमुना नदी
बसन्तपुर
दुसमाइलपुर
तटबन्ध